तत्काल / समयबद्ध

संख्या— 4058 / 71-2-2016-37 / 2016

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2016

विषय— निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजो (अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों को छोड़कर) के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10 (1) के अन्तर्गत प्राविधानित प्रवेश एवम् फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 19-09-2016 के कार्यवृत्त में समिति द्वारा अन्तिम रूप से शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु 03 माह का समय प्रदान किये जाने अनुरोध किया गया है।

2— रिट याचिका संख्या—20675/एम0बी0/2016 अनऐडेड मेडिकल कालेजेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध 14 अन्य रिट याचिकाओ मे मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-09-2016 एवम् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या—MCI-34(41)/2016-Med./123938, दिनांक 05 अगस्त, 2016 के अनुसार अकादमिक वर्ष 2016-17 मे एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्तिम तारीख, जिस तक, किसी कारण से हुई रिक्तियों के प्रति छात्र दाखिल किए जा सकते हैं, 30 सितम्बर, 2016 निर्धारित है।

3— उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों की काउन्सिलिंग दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से की जानी है। फीस नियमन समिति द्वारा अल्प समयावधि में

फीस निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतएव उक्त समिति द्वारा किये गये अनुरोध को सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए, शैक्षणिक सत्र-2016-17 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते है:-

1. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों का शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क, उक्त अधिनियम की धारा-10 (1) के अन्तर्गत अंतिम शुल्क अवधारित होने तक, अस्थायी रूप से निर्धारित किया जाता है।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू0 11,30,000/- (रूपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) से अनधिक प्रति छात्र/प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है।

3. उक्त बिन्दु- 2 में अस्थायी रूप से निर्धारित अन्तरिम शुल्क का निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि फीस नियमन समिति द्वारा उक्त अधिनियम-2006 की धारा-10 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अंतिम फीस के सापेक्ष इस अंतरिम फीस का समायोजन किया जायेगा।

4. उपर्युक्तानुसार अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट **http://upmededu.in** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा मेडिकल कालेजों द्वारा तत्काल उक्त अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4058 (1)/71-2-16-37/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछडा वर्ग विभाग /अल्पसंख्यक कल्याण/ व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ)।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. समस्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ)।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।